



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी-अलवर

(पीठासीन अधिकारी -अमीलाल यादव अरएएस)

प्रार्थना पत्र संख्या:-5/18/2023 जीसीएमएस सं0 2023/297 दर्ज तिथि:- 18.08.2023

1. मूलचन्द पुत्र बब्बडराम
2. कमला पत्नी मूलचन्द
3. गजराज पुत्र फूलसिंह
4. गजानन्द पुत्र फूलसिंह
5. गिर्राज पुत्र फूलसिंह
6. गिरधारीलाल पुत्र फूलसिंह
7. गीता पुत्री फूलसिंह
8. गोमती पुत्री फूलसिंह
9. दाखा पत्नी फूलसिंह
10. अनिता पुत्री किशनलाल
11. लक्ष्मी पुत्री किशनलाल
12. सुनिता पुत्री किशनलाल
13. कौशल्या पत्नी किशनलाल
14. दिलीप पुत्र किशनलाल
15. मुरारील पुत्र किशनलाल
16. गणेश पुत्र रामसिंह
17. जयराम पुत्र रामसिंह
18. नाथूराम पुत्र रामसिंह
19. हरिराम पुत्र रामसिंह
20. मूली पत्नी रामसिंह
21. ओषप्रकाश पुत्र किशोर
22. महेशचन्द पुत्र किशोर
23. सुरेशचन्द पुत्र किशोर
24. राजेश पुत्र किशोर
25. रामप्यारी देवी पत्नी किशोर

समस्त बालिगान जातियान मीना निवासी थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. अनिता देवी पत्नी भवानीशंकर जाति बागडा ब्राह्मण
 2. करमा पत्नी राहुल जाति बागडा ब्राह्मण
 3. अशोक पुत्र तोता जाति जोगी
 4. रामस्वरूप पुत्र तोता जाति जोगी
 5. रोहिताश पुत्र सुबा जाति जोगी
- समस्त बालिग निवासीयान ग्राम थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
6. लाली देवी पुत्री तोता पत्नी कबूल
 7. सोना पुत्री तोता पत्नी चेताराम

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

समस्त बालिग जातियान जोगी निवासीयान सुरजनपुर तहसील थानागाजी जिला
अलवर राज0

.....अप्रार्थीगण

उपरिथत
प्रार्थी अधि0:-श्री रामकरण चौपडा।
अप्रार्थी अधिवक्ता- अनुपरिथत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क
राजस्थान काश्तकारी अधि.-1955

-:निर्णय:-

- दिनांक 29.08.2024
1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी 776/0.08 है0 (साबिक नम्बर 722/1), 777/0.08 है0 (साबिक नम्बर 722/2), 778/0.10 है0 (साबिक नम्बर 722/3 मिन), 761/0.29 है0, 762/0.35 है0, 774/0.08 है0, 775/0.26 है0, 772/0.40 है0, 773/0.25 है0, 759/0.52 है0, 767/0.18 है0, 755/0.26 है0, 764/0.30 है0, 769/0.10 है0, 754/0.11 है0, 763/0.33 है0, 768/0.10 है0, 779/0.02 है0, 757/0.05 है0 वाके ग्राम थानागाजी तहसील थानागाजी में पहुँच के प्रयोजन हेतु रिकॉर्डेड रास्ता खसरा नम्बर 55 से दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 742/0.62 है0 (साबिक नम्बर 696) की पश्चिमी डोल के सहारे-सहारे चलकर खसरा संख्या 761/0.29 है0 के दक्षिण पूर्वी कोने में चलकर आगे पूर्व की ओर अपनी खातेदार में आने जाने हेतु उपयोग-उपभोग करते है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की आराजीयात तक पहुँच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को करीब 04 मीटर चौड़ाई एवं 152 मीटर (608 वर्ग मीटर) लम्बाई का रास्ता रिकॉर्ड में अभिलिखित किये जाकर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
 2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 07 की ओर से अधिवक्ता श्री के0 के0 शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 04, 06, 07 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अनेक अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाब बंद कर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 03 व 05 की ने जरिये असालतन-वकालतन उपरिथत होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पूर्वजों ने आराजी को जरिये इकरारनामा 24.01.1991 को तहरीर तकमील किया था जिसमें 05 बिस्वा आराजी साबिक खसरा नम्बर 722/16 बिस्वा में से 05 बिस्वा खसरा नम्बर 696/02 बीघा की अदला बदली रास्ते हेतु जरिये इकरारनामा की थी और उसी समय मौके पर रास्ता कायम कर दिया था। उक्त आराजी की इकरारनामों के आधार पर की गई जमीन की अदला-बदली का कब्जा भी उसी समय से एक-दूसरे को करवा दिया गया था और उसी आधार पर पक्षकारान अपने हिस्से पर काबिज है और उस इकरारनामों के आधार पर ही रास्ता चला आता है। अब पक्षकारान के मन में बड़मानी व बदनियती आ गई है। यह प्रार्थीगण द्वारा जो आराजी अप्रार्थीगण को दे रखी है उसको अप्रार्थीगण के नाम करवाई जावे तथा रास्ते की एवज में जो आराजी उसको प्रतिवादीगण को दे रखी है उसको अप्रार्थीगण को रास्ते के रूप में देने के लिए तैयार है। अधिवक्ता

अखण्ड अर्षि
थानागाजी (अलवर)

श्री के0 के0 शर्मा अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 07 की ओर से पैरवी कर रहे थे परन्तु अप्रार्थी संख्या 03 व 05 की ओर से ही जवाब प्रस्तुत किया। शेष अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश करने हेतु अनेक अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने पर उनके विरुद्ध जवाब बंद करते हुए एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई।

3. प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी द्वारा दिनांक 15.09.2023 को मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की। जो कि शामिल मिसल की गई।
4. प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने-ए-जिरह प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक प्रार्थना-पत्र अनुतोष स्वीकार करते हुए प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।
5. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका-रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है-

धारा 251-क- अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना-(1) जहाँ (क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, और उपखण्ड अधिकारी, यदि सक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि-

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है, और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अनवर)

(1) जहाँ-उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहाँ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है-

68. Application under Sec. 251-A. - An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form I.

69. Enquiry and disposal of application. - On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. - (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by

उपखण्ड अधिकारी
राजस्थान (अलवर)

the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251-क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत आमद-रफ्त हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकॉर्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क निम्न पूर्वशर्तों को आरांभित करती है जो इस प्रकार हैं—
 1. खातेदार की रास्ते बाबत अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
 2. खातेदार की रास्ते बाबत आत्यान्तिक आवश्यकता।
 3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।
7. उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या-1 में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता का जिक्र किया है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। सार्थ ही तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 15.09.2023 से इस तथ्य की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। प्रार्थी की आराजी तक पहुँचने हेतु रिकॉर्डेड में दर्ज पहुँच रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। अतः प्रार्थी का नवीन रास्ते बाबत अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क के तहत आरोपित शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होने से प्रार्थी की आराजी तक नवीन रास्ता रिकॉर्डेड में दर्ज करने का अनुतोष स्वीकार किया जाता है। अब इसके पश्चात इस बिन्दु पर विश्लेषण किया जाना है कि उक्त नवीन रास्ता किस आराजी में से होकर किस रूट से होकर कितनी चौड़ाई का रास्ता का अनुतोष स्वीकार किया जाना है।
8. इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प पर विचार किया जाना आवश्यक है। मुताबिक रिपोर्ट दिनांक 15.09.2023 प्रार्थी द्वारा आवेदित मार्ग के अतिरिक्त मौके पर कोई लघुत्तम मार्ग उपलब्ध नहीं है। उक्त आवेदित मार्ग राजस्व रिकॉर्डेड में दर्ज करने के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा आवेदित मार्ग ही लघुत्तम मार्ग प्रतीत होता है।
9. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क के अन्तर्गत प्रार्थीगणों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं रिकॉर्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं दिनांक 15.09.2023 के द्वारा प्रेषित की गई है।

उपरोक्त अधिका...

आराजी (अनिता)

जोंव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी की आराजी तक रिपोर्ट में दर्ज रास्ता से पहुँच नहीं होने तथा आगेदित रास्ता लघुतम मार्ग होने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क काविल-ए स्वीकार है। अतः दिनांक 15.09.2023 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रस्ताव लघुतम मार्ग बतौर 04 मीटर चौड़ाई व 152 मीटर लम्बाई (608 वर्ग मीटर लगभग 06 ऐयर) का गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता नियमानुसार भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार थानागाजी को आदेश दिये जाते हैं कि दिनांक 15.09.2023 की मौका जॉच रिपोर्ट में इंगित नीले रंग से प्रदर्शित मार्ग 152 मीटर लम्बाई एवं 04 मीटर चौड़ाई (608 वर्ग मीटर लगभग 06 ऐयर) के रास्ते पर राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68-70 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि आंकलित कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि वितरित करते हुये नियमानुसार रास्ते को खाता संख्या 01 सिवायचक सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। दिनांक 15.09.2023 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार थानागाजी को भिजवायी जावे।

यह आदेश आज दिनांक 29.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(अमीलाल यादव आर.ए.एस.)

अधीकारी
थानागाजी-अलवर
राजस्थान (अलवर)



राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955